नम्बर 2024/98 बजनवान मांगीलाल बनाम अनाराम वगैरा
धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
(प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये

28/01/26

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।

वकील प्रतिवादी श्री गणपतलाल चौधरी ने प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी पर बहस में दलील दी कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो के मध्य इस वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि ग्राम बिसलपुर के खसरा नम्बर 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919 कुल रकबा 4.75 हैक्टर वार्षिक लगान रूपये 126.31 बाबत एक प्रकरण माननीय उपखण्ड अधिकारी जी बाली के न्यायालय में प्रतिवादी संख्या एक व दो द्वारा पेश किया गया था जिसके राजस्व विविध प्रकरण संख्या 69/2013 रहे है, जिस मुकदमें का निर्णय वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या एक व दो के मध्य तारीख 05.06.2015 को न्याय आपके द्वारा अभियान 2015 राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट बिसलपुर में दोनो पक्षकारो ने राजीनामे के जरिये निर्णय करवाया है एवं उसी निर्णय के अनुसार एवं उस निर्णय की पालना में प्रतिवादी संख्या तीन भूमिधारी ने राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो उसी निर्णय अनुसार एवं राजस्व रेकर्ड में दर्ज इन्द्राज अनुसार मौके पर काबिल होकर काश्त करते आ रहे है एवं विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जहां पक्षकारों के मध्य राजीनामा के जरिये किसी प्रकरण का निस्तारण हो जाता है तो उस निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी सकती है। चुँकि वादग्रस्त भूमि बाबत इस वाद के पक्षकारों के मध्य इसी न्यायलय में प्रकरण में विचाराधीन रहने के बाद इसी न्यायालय में दोनों पक्षकारों ने उस प्रकरण का निस्तारण करवा दिया है जिसका अन्तिम निर्णय दिनांक 05.06.2015 उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा किया गया है चुँकि राजस्व विविध प्रकरण संख्या 69/2013 निर्णय दिनांक 05.06.2015 में वही पक्षकार थे जो माननीय न्यायलय में वादीगण व प्रतिवादीगण है तथा वादग्रस्त भूमि रही है। इस प्रकार पूर्व न्याय के सिद्वान्त के आधार पर वादीगण का उपरोक्त वाद कानुनन चलने योग्य नही होने से काबिल खारिज किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादी द्वारा बहस में दलील दी गई कि पूर्व में इस भूमि बाबत वाद अवश्य चला था व निर्णय भी हुआ परन्तु प्रतिवादीगण ने उक्त वाद में वादग्रस्त भूमि के खरीद बाबत व उसमें वर्णित हिस्से बाबत तथ्य गलत दर्ज कर वाद का निर्णय रजिस्ट्री के अनुसार करवाना था परन्तु उस तथ्य को छिपाकर उसमें वर्णित हिस्साकसी के विरूद्व निर्णय कर राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज वास्तविक स्थिति को छिपाकर करवा दिये, जो फ्रोड ओन कोर्ट की परिभाषा में आने से गलत है। वादीगण ने इस गलत इन्द्राज को हटाकर सही इन्द्राज बाबत वाद पेश किया है। जो विक्रय विलेख के अवलोकन मात्र से साबित है पूर्व में पारित निर्णय प्रतिवादी ने न्यायालय के समक्ष मिथ्या कथन कर निर्णय प्राप्त किया है। इसका ज्ञान प्रतिवादीगण के समक्ष मिथ्या कथन कर निर्णय प्राप्त किया है। इसका ज्ञान प्रतिवादीगण को करवाने के बाद प्रतिवादी ने गलती स्वीकार भी की है व राजस्व रेकर्ड में सही इन्द्राज बाबत कहा फ़िर नही करवाया तब इस हेतू वाद पेश किया गया है। प्रतिवादी ने न्यायालय के समक्ष जो अपना हिस्सा बताया व विक्रय विलेख से भिन्न बताकर भूमि ज्यादा दर्ज करवा दी जो फ्रोड की परिभाषा में आने से सही स्थिति अनुसार भूमि की खरीद वादी संख्या 1/3, वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का 1/3 हिस्सा यानि 1/6,1/6, हिस्सा ही आता है। पूर्व में वाद धारा 136 आर एल आर एक्ट के तहत प्राप्त आदेश की पालना प्रतिवादीगण संख्या एक

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner

तारीख
हुक्म

ने दो ने राजस्व कर्मचारीगण से सांठ गांठ कर गलत इन्द्राज करवा दिये। जिसकी दुरूस्ती जानबुझकर नही करवाने से वाद पेश किया गया है। जो दस्तावेजी सबूत से साबित है जो खरीद सुदा भूमि से ज्यादा हिस्सा दर्ज करवा दिया जो गलत होने से वाद के माध्यम से आज्ञापित वादीगण ने चाही है। इस पर रेसजुडिके नियम लागू ही नही होते है। जब कि हिस्से वादीगण के 1/3, 1/3 व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के 1/3 जो 1/6, 1/6 होता है। जब कि प्रतिवादीगण ने वादीगण का 1/4, 1/4 व प्रतिवादीगण का 1/4, 1/4 हिस्सा गलत दर्ज करवा दिया है। इस गलती का प्रतिवादीगण ने स्वीकार भी किया है परन्तु दुरूस्ती नही करवा रहे है। जिससे वाद पेश किया गया है। जो पूर्व मे जो वाद निस्तारण किया गया, उसकी पालना प्रतिवादीगण गलत इन्द्राज करवा कर बताई है। इसकी जानकारी होन पर वे इस दुरूस्त नही करवा रहे है। जिससे पूर्व में पारित निर्णय व वाद के तथ्य भिन्न है तथा रिलीफ भी भिन्न है। जिससे इस पर प्राड न्याय(रेसजुडिककेटा) के सिद्वान्त लागू नही होने से ही वाद पेश किया गया है। यह तथ्य एवं कानुन की बात है जो शहादत व तनकी कायम कर ही निस्तारित किया जा सकता है। प्रतिवादीगण इस गलती को छिपा कर न्याय से मुकरना चाहते है। जिससे प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस एवं धारा 11 सीपीसी पर उभयपक्ष वकुलाय की

धारा 11 सीपीसी में वर्णित प्रावधानों पर मनन के पश्चात ज्ञात है कि कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाधक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद–विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है, किसी पूर्ववती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद रहा हैं, जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का उस वाद का, जिसमे ऐसा विवाधक वाद मे उठाया गया है, विचारण करने के लिये सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। हस्तगत प्रकरण में वर्णित भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा इसी न्यायालय में वादीगण के विरूद्ध धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया था। जो प्रकरण संख्या 69/2013 बअनवान गणेशराम वगैरा बनाम जवानाराम वगैरा दिनांक 05.06.2015 को दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर लोक अदालत में निस्तारित किया गया था तथा वादीगण द्वारा पुनः उसी वाद हेतुक को लेकर उक्त वाद पेश किया है जिस संबंध में वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टांत **RRT 2016-17(sup.) page 158 (paras 12,13)** भी हस्तगत प्रकरण पर सटीक है। क्योंकि उक्त प्रकरण में भी वर्णित पूर्व राजस्व विविध प्रकरण संख्या 69/2013 बअनवान गणेशराम वगैरा बनाम जवानाराम वगैरा दिनांक 05.06.2015 को दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर लोक अदालत में निस्तारित किया गया था। जिससे उक्त प्रकरण धारा 11 सीपीसी के प्रावधानों से पूर्ण रूप से बाधित होने से प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी स्वीकार कर वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम बिसलपुर के खसरा न. 1913 से 1919 कुल खसरा 7 कुल क्षेत्रफल 4.75 हैक्टर के सबंध में प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आरटी एक्ट खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादी :–

1. स्व. श्री हिम्मतारामजी पुत्र समाजी उर्फ चमनाजी घांची के उतराधिकारी एवं कायम मुकामात–
   1/1 श्री मांगीलाल पुत्र हिम्मताराम
   1/2 श्री मदनलाल पुत्र हिम्मताराम
   1/3 श्री बस्तीमल पुत्र हिम्मताराम
   1/4 श्रीमति पुष्पा पुत्री हिम्मताराम
   1/5 श्री प्रभुराम पुत्र हिम्मताराम
   1/6 श्रीमती नर्बदा पुत्री हिम्मताराम
   1/7 श्रीमती दाकु पुत्री हिम्मताराम
2. स्वर्गीय श्री जवानारामजी पुत्र समारामजी के उत्तराधिकारी एवं कायम मुकामात–
   2/1 श्री ताराचन्द पुत्र जवानारामजी उम्र बालिग
   2/2 श्री उम्मेदमल पुत्र जवानारामजी उम्र बालिग
   2/3 श्री पारसमल पुत्र जवानारामजी उम्र बालिग
   2/4 श्रीमती मोहनी पुत्री जवानारामजी उम्र बालिग
   2/5 श्रीमती कंचन पुत्री जवानारामजी उम्र बालिग
   2/6 स्व. श्री शान्तिलाल पुत्र जवानारामजी के उत्तराधिकारी एवं कायम मुमामात–
      2/6/1 आशा पत्नि स्व. शान्तिलाल
      2/6/2 भावेश पुत्र स्व. शान्तिलाल
      2/6/3 अनुष्का पुत्री स्व. शान्तिलाल
      2/6/4 चंचल पुत्री स्व. शान्तिलाल

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. श्री अनाराम पुत्र समारामजी उम्र बालिग
2. श्री गणेश पुत्र समाराजी उम्र बालिग
   निवासीगण बिसलपुर जाति घांची तहसील बाली जिला पाली राजस्थान
3. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि एवं भूमिधारी श्री तहसीलदारजी तहसील कार्यालय बाली जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2024/98
वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रकरण धारा 11 सीपीसी के प्रावधानों से पूर्ण रूप से बाधित होने से प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी स्वीकार कर वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम बिसलपुर के खसरा न. 1913 से 1919 कुल खसरा 7 कुल क्षेत्रफल 4.75 हैक्टर के सबंध में प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आरटी एक्ट खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला-पाली (राज.) ★

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner